रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 1986/ज्येष्ठ 1, 1908
No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 1986/JYAISTHA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 22 मई, 1986

आदेश

का. आ. 296(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. क. आ. 312(अ), तारीख 21 अप्रैल, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश का सारणी मे क्रम संख्यांक 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् —

सारणी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"40.	मथिल डोपा टिकिया	250 मि.ग्रा./ टिकिया (एन हाइड्रस)	10 × 10 की पट्टी	/ 152 93"

टिप्पण — मूल आदेश भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii), तारीख 21 अप्रैल, 1981 के पृष्ठ सं 529 से 530/4 पर पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं का०आ० 312(अ) तारीख 21 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया —

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii) के पृष्ठ 1—3 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं का०आ० 311(अ) तारीख 8 जुलाई, 1985।

[सं 9(15)/86-डी(ii)]

आर वी वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 22nd May, 1986

ORDER

S.O. 296(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No S.O. 312(E), dated the 21st April, 1981, namely :—

In the Table below the said Order, for serial number 40 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely : –

TABLE

1	2	3	4	5
"40.	Methyl Dopa Tabs.	250mg/tablet (Anhydrous)	10 x 10's strip	152 93"

NOTE : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3(ii) dated 21st April, 81 at pages 529 to 530/4 vide Government notification, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers No. S.O. 312(E) dated 21st April, 1981 and was subsequently amended by,

(i) Government notification, No. S.O. 511 (E) dated 8th July, 1985 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3(ii) at pages 1—3.

[No. 9(15)/86-D.II]

R.V. VAIDYANATHA AYYAR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986